

RPSC EO/RO Exam 2025

शहरी क्षेत्रों की योजनाएं

नवीनतम
अपडेटेड

मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारण्टी योजना

(इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना)

सम्पूर्ण जानकारी

10 महत्वपूर्ण प्रश्न



Part-6

मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारण्टी योजना

इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना

शुभारंभ:- 09 सितम्बर 2022 को (मनरेगा की तर्ज पर)

(खानिया की बावड़ी, जयपुर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा)



नोट:- 25 नवम्बर 2024 को योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारण्टी योजना कर दिया गया है।

नोडल विभाग - स्वायत्त शासन विभाग।

वित्त पोषण:- पूर्णतः राज्य वित्त पोषित योजना

• बजट 2023-24 में 1100 करोड़ रुपये का प्रावधान।

योजना का प्रकार:- परिवार आधारित एवं मांग आधारित

उद्देश्य:-

- राज्य के शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले जरूरतमंद परिवारों के 18 से 60 वर्ष आयु के व्यक्तियों को गारंटीशुदा रोजगार उपलब्ध करवा कर उनकी आजीविका सुनिश्चित करना हैं।
- निःशुल्क पंजीयन के आधार पर 100 कार्य दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाने के साथ प्रारम्भ की गयी, जिसे वित्तीय वर्ष 2023-24 में बढ़ाकर 125 कार्य दिवस कर दिया है।

आवेदन:-

- (i) ऑनलाइन- IRGY- Urban Mis Portal पर या ई-मित्र के माध्यम से भी किए जा सकते हैं।
- (ii) ऑफलाइन- संबंधित नगरपालिका के कार्यालय;
- (iii) जॉन कार्यालय।

पात्र व्यक्ति (अर्द्धकुशल और अकुशल) को संबंधित नगरीय निकाय द्वारा रोजगार मांगे जाने पर, जॉब कार्ड के आधार पर आवेदन के 15 दिवस में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।

योजना में कार्य:

(A) पर्यावरण संरक्षण कार्य

- वृक्षारोपण
- उद्यानिकी से संबंधी कार्य
- वानिकी से संबंधी कार्य

(B) जल संरक्षण संबंधी कार्य

(C) स्वच्छता एवं सेनीटेशन संबंधी कार्य

(D) सम्पत्ति विरूपण रोकने से संबंधी कार्य

(E) कन्वर्जेन्स कार्य

- (i) PM आवास योजना (शहरी), CM जन आवास योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य में कन्वर्जेन्स
- (ii) नगरीय निकाय के स्वयं के स्रोत से संचालित निर्माण कार्य में श्रम मद हेतु कन्वर्जेन्स

(F) सेवा संबंधी कार्य

- गौशाला में श्रमिक कार्य
- नगरीय निकायों में रिकार्ड कीपिंग कार्य

(G) हेरीटेज संरक्षण से संबंध कार्य

नोट:- कार्यों की माप करवाने के लिए तकनीकी अधिकारियों के सहयोग हेतु 'मैट' रखा जाएगा।

पात्रता

- राजस्थान राज्य के किसी भी शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्राधिकार में निवास करने वाला परिवार
- ऐसे शहरी परिवार के 18 से 60 वर्ष आयु के सदस्य जो इस योजनान्तर्गत पंजीकृत हैं।
- जनाधार कार्ड अनिवार्य (जनाधार कार्ड यूनिट को ही एक परिवार माना जाएगा)

नोट -

1. जनाधार कार्ड उपलब्ध नहीं हो तो जनाधार कार्ड हेतु ई-मित्र या नगरपालिका सेवा केन्द्र पर आवेदन करते हुए आवेदन पत्र का पंजीयन क्रमांक प्रस्तुत कर सकता है।
2. विषम परिस्थितियों जैसे कोरोना काल; अन्य कोई महामारी तथा आपदा आदि में प्रवासी मजदूरों को भी रोजगार उपलब्ध कराया जा सकेगा।

कार्य योजना

(1) नगरीय निकाय स्तर पर -

मुख्य नगरपालिका अधिकारी कार्यों के चयन एवं चिह्नीकरण के लिए अधिकृत ।

(2) जिला स्तर पर -

जिला कलेक्टर (जिला परियोजना समन्वयक को अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन करवाकर)।

कार्यों की स्वीकृति

1. सामान्य प्रकृति के कार्यों में

- ✓ निर्माण सामग्री एवं पारिश्रमिक भुगतान अनुपात 30: 70 होगा (पारिश्रमिक भत्ता न्यूनतम 70% होना आवश्यक है)
- ✓ नोट:- दिनांक 07.10.2024 द्वारा निर्माण सामग्री एवं पारिश्रमिक भुगतान अनुपात को 25:75 से बदलकर 30:70 कर दिया गया है।

2. विशेष प्रकृति के तकनीकी कार्यों में

- ✓ निर्माण सामग्री लागत एवं तकनीकी विशेषज्ञ (कुशल श्रमिक पारिश्रमिक अनुपात) 75: 25 होगा।

भुगतान

- ❖ कार्य करने वाले श्रमिकों को श्रम विभाग, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की दरों से (महिला व पुरुष श्रमिकों को समान मजदूरी) ऑनलाइन भुगतान किया जायेगा।

नोट:- 28 अगस्त, 2023 को श्रम विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर जनवरी, 2023 से न्यूनतम मजदूरी की विगत दरों में 26 रूपये की वृद्धि की गई है-

श्रमिक मजदूरी भुगतान - 1 जनवरी, 2023 से प्रत्येक श्रेणी में 26 रु. की वृद्धि :-		
(i) अकुशल श्रमिक	285 रु.	8550 /माह
(ii) अर्द्धकुशल श्रमिक	297 रु.	8910/माह
(iii) कुशल श्रमिक	309 रु.	9270/माह
(iv) उच्च कुशल श्रमिक	369 रु.	10770/माह

भुगतान राजस्थान पेमेंट पोर्टल (RPP)/IRGY-Urban MIS Portal (SNA पोर्टल के माध्यम से) के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में 15 दिवस की अवधि के भीतर कार्य माप के आधार पर किया जायेगा।

मोनिटरिंग 4 स्तरीय

राज्य स्तरीय स्वीकृति व समन्वय समिति

अध्यक्ष:- प्रमुख शासन सचिव , स्वायत्त शासन विभाग

कार्य :- योजना की मोनिटरिंग, सुपरविजन एवं कार्यों हेतु राशि आवंटित करना।

बैठक:- त्रैमासिक आधार पर।

संभागीय स्तरीय मोनिटरिंग एवं सुपरविजन समिति

अध्यक्ष:- संभागीय आयुक्त

कार्य:- कार्यों की मोनिटरिंग व समन्वय तथा पर्याप्त कार्यों की स्वीकृति व गुणवत्ता सुनिश्चित करना।

बैठक:- द्विमासिक आधार पर।

जिला स्तरीय परियोजना समन्वय समिति

अध्यक्ष:- जिला कलक्टर (जिला परियोजना समन्वयक)

कार्य - कार्य पर्याप्त मात्रा में कार्यों की स्वीकृति जारी करवाना।
समुचित संख्या में संविदा पर जनशक्ति का नियोजन करवाना।

बैठक:- मासिक आधार पर।

नगर निकाय स्तरीय समिति

अध्यक्ष:- आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी

कार्य:- योजना की मोनिटरिंग व प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

शिकायतों का निवारण -

- जिला कलक्टर व संबंधित नगर निकाय के आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी के माध्यम से
- जन सम्पर्क पोर्टल (टोल फ्री नं. 181)
- IRGY-Urban MIS Portal के माध्यम से किया जाएगा।

नोट• संबंधित नगर निकाय द्वारा शिकायतों का निवारण 7 दिवस की अवधि में पूर्ण किया जायेगा।

अंकेक्षण:-

- योजना का सामाजिक अंकेक्षण राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत निकायों में गठित वित्त समिति के द्वारा किया जायेगा।
- सामाजिक अंकेक्षण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 6 माह के अन्तराल में एक बार आवश्यक रूप से किया जाना है।

आर्थिक समीक्षा 2023-24, के अनुसार योजना की प्रगति

★ वर्ष 2023-24 में 3.19 लाख परिवारों को रोजगार आवंटित किया गया है। इसी वर्ष के दौरान कुल 10,824 कार्य स्वीकृत कर 339 करोड़ रु. का भुगतान किया गया है और 202.61 लाख मानव दिवस सृजित किये गये हैं।

★ योजनान्तर्गत नियोजित श्रमिकों में से 80 प्रतिशत से अधिक महिला श्रमिक लाभान्वित हो रही हैं।

आर्थिक समीक्षा 2024-25, के अनुसार

(i) इस योजना के अन्तर्गत दिसम्बर 2024 तक 6.53 लाख परिवारों का पंजीकरण किया जा चुका है।

(ii) वर्ष 2024-25 में 1.83 लाख परिवारों को काम आवंटित किया गया है।

(iii) दिसम्बर 2024 तक 2,746 कार्यों को मंजूरी दी गई है, जिसमें 113.6 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है और 86.48 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजन किया गया है।

(iv) इस योजना में 80 प्रतिशत से अधिक मजदूर महिलाएं हैं, जो योजना के महिला सशक्तिकरण पर प्रभाव को दर्शाता है।

महत्वपूर्ण 10 प्रश्न

01. इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IGSRGY) का आरंभ कब हुआ?

- (a) 9 नवंबर, 2021
- (b) 9 नवंबर, 2022
- (c) 9 सितंबर, 2021
- (d) 9 सितंबर, 2022

02. इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है?

- (a) स्वायत्त शासन विभाग द्वारा
- (b) सहकारिता विभाग द्वारा
- (c) लोक कल्याण विभाग द्वारा
- (d) आयोजना विभाग द्वारा

03. इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत काम मांगने पर कितने दिन में काम उपलब्ध कराया जाएगा?

- (a) काम मांगे जाने की तारीख से 7 दिन में
- (b) काम मांगे जाने की तारीख से 10 दिन में
- (c) काम मांगे जाने की तारीख से 14 दिन में
- (d) काम मांगे जाने की तारीख से 15 दिन में**

04. IGSRGY के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

- (a) जन-आधार कार्ड धारक राज्य का कोई भी परिवार योजना में आवेदन कर सकता है
- (b) कार्यों हेतु भुगतान जन-आधार से लिंक बैंक खाते में 20 दिन में किया जाएगा
- (c) 18 से 65 वर्ष तक की आयु के सदस्य रोजगार के पात्र होंगे

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं-

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
- (c) केवल 3 (d) कोई भी कथन सही नहीं है।**

05. इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर 'मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना' कब किया गया ?

(a) 25 नवंबर, 2024

(b) 25 सितम्बर, 2024

(c) 25 अक्टूबर, 2024

(d) 25 अगस्त, 2024

06. इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 7 अक्टूबर, 2024 को जारी आदेशानुसार सामान्य कार्यों हेतु श्रम एवं सामग्री अनुपात (Labour: Material Ratio) कितना कर दिया है ?

(a) 70:30

(b) 75: 25

(c) 60:40

(d) 80: 20

07. इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की मॉनिटरिंग कितने स्तर पर की जाती है?

- (a) 2 स्तरीय
- (b) 3 स्तरीय
- (c) 4 स्तरीय
- (c) कोई नहीं।

08. 'इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना' अकुशल श्रमिक मजदूरी कितनी रखी गयी है।

- (a) 285 रु
- (b) 297 रु
- (c) 309 रु
- (d) 369 रु

09. इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना' में जिला परियोजना समन्वयक किस अधिकारी को बनाया गया है।

(a) जिला कलेक्टर

(b) मुख्य जिला अधिकारी

(c) नगर निकाय आयुक्त

(c) कोई नहीं।

10. इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना' में वित्तीय वर्ष 2022-23 में कार्य दिवस 100 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है।

(a) 200

(b) 125

(c) 150

(c) कोई नहीं।